पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

संख्या- 132/2024 दिनांक- 22.04.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

जीयनपुर क्षेत्रान्तर्गत मारपीट कर हत्या करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना– आज दिनांक 22.04.2024 को वादी मुकदमा केयामुद्दीन पुत्र मो0नासीर निवासी ग्राम नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की जनरल स्टोर की दुकान है, दिनांक 19/04/2024 को अहमद पुत्र स्व0अजमल ग्राम नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ वादी की दुकान के गेट पर लगा चिंलगम उसकी शरीर से सट गया तो वादी के भतीजे अब्दुल करीम से चिलगम छुडावाने को कहा तो उसने मना कर दिया और अहमद वाद विवाद करते हुए अपने घर चला गया।

➡ दिनांक 21/04/2024 को समय करीब 8.30 बजे रात को वादी तथा उसके भाई अव्दुल कलाम, भतीजा अरफात व अबुजर समस्त पुत्र मो0 याहिया को चिंगम की बात को लेकर अहमद ,शहवाज ,रहमत समस्त पुत्र स्व0 अजमल समस्त निवासी नत्थुपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ व बाल अपचारी चांकु व पंच लेकर आये और जान मारने की नियत से वादी व वादी के भाई अब्दुल कलाम व भतीजा अरफात व अवुजर को मारने लगे जिससे वादी व वादी के भाई अब्दुल कलाम व अवुजर व अरफात को गम्भीर चोट आयी। जिन्हे इलाज हेतु सदर अस्पताल आजमगढ ले जाया गया तो डॉक्टर ने वादी के भाई अब्दुल कलाम को मृत्यु घोषित कर दिये । और मेरे भतीजे अबुजर व अरफात का इलाज सदर अस्पताल आजमगढ में चल रहा है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 166/2024 धारा 302/307 भादवि0 बनाम 1.अहमद पुत्र स्व0 अजमल 2.शहवाज पुत्र स्व0 अजमल 3.रहमत पुत्र स्व0 अजमल 4. बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है । विवेचना से धारा 4/25 A ACT की बढ़ोतरी हुयी है विवेचना के क्रम मे ।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 22.04.2024 को थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0- 166/2024 धारा 302/307 भा0द0वि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.अहमद पुत्र स्व0 अजमल 2.शहवाज पुत्र स्व0 अजमल 3.रहमत पुत्र स्व0 अजमल समस्त निवासी नत्थुपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 4.बाल अपचारी को केशवपुर पुलिया के पास चाय की दुकान के पास से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त शहबाज के जेब से घटना में प्रयुक्त पंच बरामद हुआ तथ अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू (आला कत्ल), लाठी व डण्डा अंजान शहिद पार्क के पिछे बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- 166/2024 धारा 302/307 भा0द0वि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अहमद पुत्र स्व0 अजमल निवासी नत्थुपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

2.शहवाज पुत्र स्व0 अजमल निवासी नत्थुपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब18 वर्ष

3.रहमत पुत्र स्व0 अजमल निवासी नत्थुपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

4. 01 बाल अपचारी

बरामदगी- 01 चाकू (आला कत्ल), 01 पंच, 01 डण्डा व 01 लाठी

पूछताछ का विवरण– अभियुक्त अहमद पुत्र स्व0 अजमल निवासी नत्थूपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने बताया कि दिनाँक 19.04.2024 को मै केयामुद्दीन की दूकान पर सामान लेने गया था जहाँ पर दुकान के गेट पर चिंगम मेरे शरीर पर चिपक गया था, तब मैने केयामुद्दीन के भतीजे अब्दुल करीम से कहा कि चिंगम छुडाओ तो अब्दुल करीम ने कहा मै क्यो छुडाऊ इसी बात पर हम लोगो का विवाद हुआ था। मै अपने घर पर चला गया तथा दिनाँक 21.04.2024 को समय करीब रात्रि 8.30 बजे चिंगम की चिपकाने की पुरानी बात को लेकर मै व मेरा भाई शहबाज रहमत व सादाव उर्फ शहदाब सभी लोग मिलकर पंच व चाकू व लाठी डण्डा से अब्दुल कलाम व उनके भतीजे को पंच वा चाकू से मारे पीटे जिससे इन लोगो को काफी चोटे आ गयी थी । इस प्रकार अपना बयान दे रहा है ।

आपराधिक इतिहास-

1. शहवाज पुत्र स्व0 अजमल निवासी नत्थुपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष

3.रहमत पुत्र स्व0 अजमल निवासी नत्थुपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

1.मु0अ0स0 570/2023 धारा 323/504/506भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. विवेक कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. हे0का0राजेश कुमार थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0निलेश प्रताप सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. का0दशरथ सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
5. म0का0पूजा यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़
6. सादे बस्त्रो मे का0रोहित त्रिपाठी थाना जीयनपुर आजमगढ़
7. सादे बस्त्रो मे का0अमरजीत यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना – जहानागंज
दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 20.04.2024 को वादी मुकदमा लालजीत S/O महावल निवासी ग्राम सलारपुर थाना जहानागंज द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि मेरी भतीजी की शादी किशन पुत्र बाबुलाल ग्राम कादी का पुरा मसउदपुर थाना जहानागंज के साथ लगभग 01 साल पहले हुई थी, जिसे दिनांक 31 मार्च 2024 को बिटिया पैदा हुई बेटी पैदा होने के कारण वादी की भतीजी विनिता को उसके पति किशन व देवर मन्नू प्रताड़ित करते थे जिससे वादी की भतीजी प्रताड़ित होकर दिनांक 18.4.24 को फाँसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 184/24 धारा 498ए, 304बी भादवि0 बनाम 1. किशन पुत्र बाबूलाल 2. मन्नू पुत्र बाबूलाल समस्त निवासी कादी का पुरा मसउदपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रारम्भ की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 22.04.2024 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संम्बन्धित अभियुक्तो 1. किशन पुत्र बाबूलाल 2. मन्नू पुत्र बाबूलाल समस्त निवासी कादी के पुरा मसउदपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को मन्दे बाजार से समय करीब 14.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 184/24 धारा 498ए, 304बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. किशन पुत्र बाबूलाल निवासी कादी के पुरा मसउदपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. मन्नू पुत्र बाबूलाल निवासी कादी के पुरा मसउदपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता, का0 टार्जन गौड़ थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना जहानागंज
चोरी गये मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 19.04.24 को वादी मुकदमा दयानाथ पाण्डेय पुत्र स्व0 सिंहासन पाण्डेय निवासी धरमपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था वादी की दुकान शेरपुर बाजार के बाहर खडी वादी की मोटरसाईकिल (यू0पी0 50 CS 3258 सुपर स्पेलेण्डर) को अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र घुरपटरी निवासी शेरपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र 20 वर्ष चोरी कर ले गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/24 धारा 379/504/506/411 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 22.04.2024 को उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र घुरपटरी निवासी शेरपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को चोरी की मोटर साइकिल (नं0-UP 50 CS 3258 हीरो स्पलेण्डर) के साथ शेरपुर-बड़हगंज रोड पर नेतपुर नहर पुलिया से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 182/24 धारा 379/504/506/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- विशाल गुप्ता पुत्र घुरपटरी निवासी शेरपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी, हे0का0 सियाकान्त यादव, का0 पवन सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना बरदह

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 16.04.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री को अभियुक्त संजीत गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता निवासी ग्राम राजेपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 122/24 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 18.04.2024 को अपहृता को बरामद कर साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/406 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 22.04.24 को उ0नि0 श्रीप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजीत गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता निवासी ग्राम राजेपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को जिवली तिराहे से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- संजीत गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता निवासी ग्राम राजेपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 122/24 धारा 363/366/406 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 श्रीप्रकाश यादव, हे0का0 राजू कुमार थाना बरदह, आजमगढ़।

थान सरायमीर

दहेज हत्या करने वाले 04 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- दिनांक 21.04.2024 को वादी मुकदमा इस्लाम पुत्र सिद्दीक साकिन ख्वाजापुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर मो0नं0- 8429072332 द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर उसके पति व ससुरालजन 1. असफाक पुत्र झिनक उर्फ अतहर (पति) 2. अतहर पुत्र वलीउल्लाह (ससुर) ,3. बेबी पत्नी झिनक उर्फ अतहर (सास) , 4.मोना पुत्री झिनक उर्फ अतहर (ननद), 5.बाल अपचारी द्वारा बार बार प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 204/2024 धारा 498ए /304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. असफाक पुत्र झिनक उर्फ अतहर (पति) ,2. अतहर पुत्र वलीउल्लाह (ससुर) , 3.बेबी पत्नी झिनक उर्फ अतहर (सास) ,4. मोना पुत्री झिनक उर्फ अतहर (ननद) समस्त निवासी महाजनी टोला कस्बा सरायमीर आजमगढ़ 5. बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी फूलपुर द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 22.04.2024 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.मो0 अशफाक पुत्र मो0 अतहर उर्फ झिनक उम्र 25 वर्ष, 2.मो0 अतहर उर्फ झिनक पुत्र वलीउल्लाह उम्र 50 वर्ष, 3.बेबी उम्र 46 वर्ष, 4.मोना उर्फ सालेहा पत्नी सुफियान उम्र 27 वर्ष व 5.बाल अपचारी को बैतुलउलूम मदरसा के पास तिराहे से समय करीब 09:10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. मो0 अशफाक पुत्र मो0 अतहर उर्फ झिनक
2. मो0 अतहर उर्फ झिनक पुत्र वलीउल्लाह
3. बेबी पत्नी मो0 अतहर उर्फ झिनक समस्त निवासी महाजनी टोला, थाना सरायमीर आजमगढ़।
4. मोना उर्फ सालेहा पुत्री मो0 अतहर उर्फ झिनक पत्नी सुफियान मूल निवास श्री पैलेस मिर्जाहाजीपुर, थाना दक्षिण टोला, जनपद मऊ हाल पता महाजनी टोला, थाना सरायमीर आजमगढ़।
5. बाल अपचारी

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 204/2024 धारा 498ए /304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 अभिषेक सिंह, का0 शशिकान्त तिवारी, का0 श्रेष्ठ यादव, म0आ0 संजू सिंह, का0 सागर सिंह, म0का0 संजु सरोज थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना देवगांव

जिलाबदर अपराधी अवैध असलहा - कारतूस के साथ गिरफ्तार

आज दिनांक 22.04.2024 को उ0नि0 इल्ताफ खाँ मय हमराह को सूचना मिली कि गड़ौली ग्राम की तरफ से सड़क पर जिला बदर अपराधी अवैध असलहे के साथ आ रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 इल्ताफ खाँ मय हमराह द्वारा अभियुक्त नदीम उर्फ शब्बू पुत्र शकील निवासी देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को 01 तमन्चा .315 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 145/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➡ दिनांक 18-03-2024 को अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त को आदेश जिला बदर किया गया था।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 145/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- नदीम उर्फ शब्बू पुत्र शकील निवासी देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी- 01 तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 138/2021 धारा 380,411 भादवि थाना मेहनाजपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 140/2021 धारा 3,5A,8 गौहत्या व 11 पशुक्रुरता निवारण अधिनियम थाना मेहनजापुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 145/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 राजीव कुमार मिश्र, उ0नि0 इल्ताफ खाँ, हे0का0 रमेश कुमार, हे0का0 श्याम कुमार गौतम थाना देवगांव आजमगढ़।

थाना- कप्तानगंज

पिता की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 13.04.2024 को बैरागी पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम मोलनापुरनत्थन पट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया उसके भाई सुरेन्द्र राम पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम मोलनापुरनत्थन पट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का शव उसके घर के गेट पर पड़ी हुई मिली थी तथा गले में चोट लगी हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर इत्तेफाकिया दर्ज कर उक्त शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 19.04.2024 को मु*0*अ*0*सं*0* 110/24 धारा 302,452 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल द्वारा की जा रही थी।

➡ दौरान विवेचना अभियुक्त प्रद्युमन राम पुत्र स्व0 सुरेन्द्र राम निवासी मोलनापुर नत्थनपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्राकश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 22.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज संजय कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त प्रद्युमन राम पुत्र स्व. सुरेन्द्र राम निवासी मोलनापुर नत्थन पट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को जेहरा पिपरी मोड़ से समय करीब *13.15* बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह शराब पिता था जिसके लिये उसके पिता ने डाटा और कहा कि यदि उसने शराब नही छोडा तो उसके पिता सारी सम्पत्ति बेच देते। इसी बात में दोनों में विवाद हो गया और अपने पिता की हत्या कर फेंक दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त- प्रद्युमन राम पुत्र स्व. सुरेन्द्र राम निवासी मोलनापुर नत्थन पट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल, का0 प्रमोद कुमार, का0. अजय चौधरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।